



फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर
राजू बनाम प्रेम देवी

किस्म मुकदमा-88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नम्बर- 87 वर्ष-2025

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुए
29.12.2025	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने अन्तर्गत धारा-88, 188 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06.02.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर) </p> <p>28-1-26 वादी की ओर से पत्रावली तलब करने व दावा विद्वां करने बाबत पत्रावली पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। वादी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील वादी द्वारा की गई। प्रस्तुत पत्र अनुसार वादी व प्रतिवादी के बीच राशीनामा हो जाने के कारण उक्त दावे को वादी चलाना नहीं चाहता है।</p> <p>वादी द्वारा प्रस्तुत पत्र पर वादी व वकील वादी को सुना गया। तदनुसार उक्त वाद को जरिये विद्वांल खातिर किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर) </p>	<p>राजूभाली</p> <p>पहचान रशी</p> <p>Xm H.S.</p> 